प्रेस नोट
दिनांक 01.10.2025

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग करने की आरोपी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद चैन (पीले धातु की) बरामद -

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 440/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा से सम्बन्धित अभियुक्ता रीना पत्नी अशोक नि0 मीरगंज थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री सुनील कुमार पुत्र रामदेव नि0 राजेन्द्र नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 30.09.2025 को उनकी मां चन्द्रकान्ती देवी सम्मय माता स्थान रुदापुर गई थीं। जहाँ उनके गले से सोने की चैन एक अज्ञात महिला चुराकर ले जाने लगी, इसी दौरान वादी की माँ ने महिला को पकड़ लिया और तलाशी ली गई तो सोने की चैन बरामद हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में मु0अ0सं0 440/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ। थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता रीना पत्नी अशोक नि0 मीरगंज थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया तथा बरामद पीले धातु की चैन पुलिस कब्जे में ली गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्ता को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रीना पत्नी अशोक नि0 मीरगंज थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

पंजीकृत व अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0 440/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चैन पीले धातु की

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. हे0मो0 अनिरुद्ध सिंह

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 466/23 धारा 8/21 NDPS Act थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक - 01.10.2025

वामासारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन गोण्डा के तत्वाधान में रिज़र्व पुलिस लाइन में नवनिर्मित "पुलिस कैफे" का फीता काटकर किया गया उद्घाटन–

नवरात्रि के पवन अवसर पर पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं प्रेरणादायी पहल

आज दिनांक 01.10.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा परिसर में वामासारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में नवनिर्मित "पुलिस कैफे" का उद्घाटन आकांक्षा समिति अध्यक्ष श्रीमती गरिमा ,जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन, वामासारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ0 तनवी जायसवाल एवं उपाध्यक्ष श्रीमती भाविका द्वारा मण्डलायुक्त देवीपाटन श्री शशिभूषण लाल सुशील , पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोणडा श्री विनीत जायसवाल की गरिमामयी उपस्थित में फीता काट कर किया गया। पुलिस विभाग की यह पहल फील्ड में ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों, उनके परिजनों एवं प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों के लिए समर्पित है। इस कैफे के माध्यम से पुलिस परिवार को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन, नाश्ता एवं पेय पदार्थ न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे समाज की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़ी मेहनत करते हैं। उनके स्वास्थ्य सुरक्षा व मनोबल वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस "पुलिस कैफे" का निर्माण कराया गया है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लगभग 500 रिक्रूट आरक्षी, जो मैदान में कठोर मेहनत व अभ्यास करते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा। ड्यूटी पर तैनात जवानों और उनके साथ रह रहे परिजनों को भी इससे सीधा लाभ होगा। कैफे का संचालन पुलिस विभाग के कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियंत्रित मूल्य सुनिश्चित हो सके। “पुलिस कैफे” में उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं पेय पदार्थ इस प्रकार हैं – वेजिटेबल एवं फ्रूट जूस, चाय, कॉफी नाश्ते के हल्के व्यंजन (स्प्राउट, फ्रूट चाट आदि) सभी वस्तुएँ स्वच्छता एवं हाइजीन के मानकों के अनुसार तैयार की जाएंगी, जिससे जवानों का स्वास्थ्य बेहतर रहे।

“पुलिस कैफे” लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्मित किया गया है। इसकी आंतरिक साज-सज्जा में डिप्रेशन लैम्प्स, हैंगिंग लैम्प्स आदि का प्रयोग किया गया है, जिससे आकर्षक व शांत वातावरण बन सके। कैफे में एक साथ 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ की दीवारों पर स्प्रे पेंटिंग द्वारा जनपद के प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से – दुःखहरण नाथ मन्दिर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी जी के चित्र हैं तथा पुलिस विभाग से संबंधित प्रेरणादायी पोस्टर लगाए गए हैं, ये चित्र पुलिस परिवार के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत होंगे बल्कि कैफे के वातावरण को सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत, सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दावाच्याँ, प्रतिसार निरीक्षक सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 01.10.2025</u>

<u>थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 अदद बांस का डण्डा बरामद-</u>

<u>कार्यवाही-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-363/25, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त राजू पाण्डेय पुत्र स्व0 राजेन्द्र पाण्डेय को मंहगूपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u>

दिनांक 30.09.2025 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुलसीपुर मांझा की रहने वाली महिला पूनम पाण्डेय का शव उसके घर से 500 मीटर दूर सड़क के किनारे मिला था। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। थाना नवाबगंज में मृतका के भाई ज्वाला प्रसाद की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष नवाबगंज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 01.10.2025 को पुलिस टीमों द्वारा आरोपी हत्याभियुक्त(पति) राजू पाण्डेय को मंहगूपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त राजू पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी कांति उर्फ पूनम पाण्डेय शराब पीने की आदी थी तथा आये दिन उससे व बच्चों से विवाद करती थी। चार-पाँच दिन पूर्व वह घर से बिना बताये चली गयी थी, दिनांक 29.09.25 की रात्रि लगभग 9 बजे उसने फोन कर अभियुक्त राजू पाण्डेय को नवाबगंज बुलाया था किन्तु अभियुक्त नहीं गया। घटना वाली रात्रि लगभग 11 बजे मृतका कांति उर्फ पूनम पाण्डेय नशे की हालत में घर पर आयी और विवाद करने लगी जिसपर अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर डण्डे से प्रहार किया गया। तत्पश्चात दोनो पैदल नवाबगंज की ओर जाते समय टेढ़ी नाला के पास फिर से दोनो के बीच फिर झगड़ा हुआ, जहां अभियुक्त ने गुस्से में अपनी पत्नी की उसकी की धोती से गला कसकर हत्या कर दी और प्रयुक्त डण्डा वहीं फेंक दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01.राजू पाण्डेय पुत्र स्व0 राजेन्द्र पाण्डेय नि0 तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0-363/25, धारा 103(1) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. 01 अदद बांस का डण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज।
02. हे0का0 सुनील कुमार यादव
03. हे0का0 निर्भय सिंह
04. का0 अखिलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.10.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्याँ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-225/25, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों-01. रामनाथ चौहान, 02. गुड़िया देवी, 03. कृष्णा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राममूरत पुत्र स्व० मलखा चौहान, निवासी सरैयामाफी, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा, द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.09.2025 को उसके पिता मलखा चौहान का निधन हुआ। सूचना भाभी गुड़िया देवी ने थाना में दी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही 07.09.2025 की गई और शव पीएम हेतु भेजा गया। प्रार्थी को संदेह है कि भाभी गुड़िया देवी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर पिता की हत्या की। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.10.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना में सलिप्त 03 आरोपी हत्याभियुक्तों-01. रामनाथ चौहान, 02. गुड़िया देवी, 03. कृष्णा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01.रामनाथ चौहान, पुत्र देवताराम, नि0 ग्राम पैड़ी अजब सिंह, थाना को0 देहात, गोण्डा।
02.गुड़िया देवी, पत्नी स्व0 रामरूप चौहान, नि0 ग्राम सिसई, मौजा सरैयामाफी, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।
03.कृष्णा देवी, पत्नी मंशाराम, नि0 ग्राम कमलाजोत, मौजा सरैयामाफी, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-225/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 गोविन्द कुमार थाना कौड़िया।
02. उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव।
03. कां0 रिषित कुमार।
04. कां0 श्याम नरायन यादव।
05. म0आ0 आराधना सिंह।
06. म0आ0 कीर्ति देवी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

रूट डायवर्जन–

जनपद वासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.10.2025 को मनाये जाने वाले दशहरा त्योहार के दृष्टिगत जनपद गोण्डा से होकर अन्य जनपद को जाने वाले बड़े माल वाहक वाहनों हेतु रूट डायवर्जन किया गया है, डायवर्जन दिनांक 02.10.2025 को प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा जो निम्नवत है–

- लखनऊ की ओर से आने वाले समस्त बड़े वाहन जिन्हे अयोध्या, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती जाना है वे सभी अम्बेडकर चौराहे से पोस्ट आफिस तिराहे के रास्ते कटहाघाट स द्भावना होते हुए जायेगें एवं इसी रास्ते वापस आयेगें।

- बहराइच से लखनऊ जाने वाले वाहन आर्यनगर से कर्नलगंज के रास्ते आयेगें एवं इसी रास्ते वापस जायेगें।

- बहराइच से बलरामपुर, श्रावस्ती तथा अयोध्या जाने वाले वाहन ठड़वरिया जगदीशपुर तिराहा से पण्डरी कृपाल चौराहे के रास्ते विश्वागनेश चौराहा होते हुए मनकापुर तिराहा के रास्ते आयेगे एवं जायेगें।

- बलरामपुर से अयोध्या, बहराइच अथवा लखनऊ जाने वाले समस्त माल वाहक वाहन पण्डरी कृपाल चौराहे से ही डायवर्ड होकर अपने गन्तव्य को जायेगें।

- ऐसे वाहन जिन्हे अयोध्या से बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती जाना है वे सभी मनकापर तिराहा से पण्डरी कृपाल चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य को जायेगें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 01.10.2025
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस की मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत 03 शोहदों को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.10.2025 को थाना तरबगंज के उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय व उ0नि0 सुनिल कुमार सिंह द्वारा मिशन शक्ति जागरुकता कार्यक्रम के दौरान कस्बा रगड़गंज में कार्यवाही करते हुए 03 शोहदों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 02.10.2025 को थाना तरबगंज के उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय व उ0नि0 सुनिल कुमार सिंह मय हमराह मिशन शक्ति जागरुकता कार्यक्रम हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक मार्ग में आने जाने वाली लड़कियों व महिलाओं को देखकर जोर-जोर से अश्लील गाने गा रहे हैं तथा फब्तियां कस रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके से 03 अभियुक्तों 1. रितेश राठौर पुत्र संजय सिंह राठौर 2.रिषभ सिंह पुत्र स्व० संतोष सिंह एवं 3. प्रियांशु पुत्र जयप्रकाश को गिरफ्तार कर थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग व गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मु0अ0सं0 306/25 धारा 296 बी0एन0एस0 - 1. रितेश राठौर पुत्र संजय सिंह राठौर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी राजा टोला परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा एवं 2.रिषभ सिंह पुत्र स्व० संतोष सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी राजा टोला परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्ड।
2. मु0अ0सं0 307/25 धारा 296 बी0एन0एस0 - प्रियांशु पुत्र जयप्रकाश
विश्वकर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी परसपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्ड।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय
02. उ0नि0 सुनिल कुमार सिंह
03. का0 महेश यादव
04. का0 वीरेन्द्र कुमार
05. का0 मोहन प्रसाद

हेल्पलाइन नंबर (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त)
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

- 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 102 – स्वास्थ्य सेवा

गोण्डा पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार की छेड़खानी/अश्लील हरकतें करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।